

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भ/भू-सम्पदा-09-02-(अराजपत्रित)-01/2024-

पटना, दिनांक-24/1/25

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए बिहार विधान परिषद् सचिवालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय के निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है :-

क्र0	Reg. No.	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1.	BN7819	श्रीमती माधवी कुमारी, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A1/220, गर्दनीबाग
2.	NG15516	सुश्री तबस्सुम खातून, कनीय लिपिक	बिहार विधान सभा	A1/401, गर्दनीबाग
3.	BN7815	श्री प्रभात कुमार विश्वास, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A2/316, गर्दनीबाग
4.	BN7851	श्री राकेश कुमार, चालक	बिहार विधान परिषद्	A1/404, गर्दनीबाग
5.	BN7022	श्री गौरव कुमार, सुरक्षा प्रहरी	बिहार विधान परिषद्	A1/409, गर्दनीबाग
6.	BN6529	श्री राकेश कुमार, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान परिषद्	A2/112, गर्दनीबाग

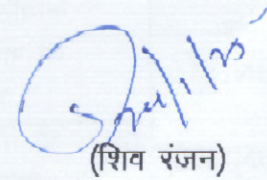
1. आवंटित आवासों को संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मत कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटि के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
3. आवंटि संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता से संपर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार 30 दिनों के अन्दर ग्रहण करेंगे। 30 दिनों के अन्दर आवास स्वीकार नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः रद्द माना जायेगा।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।

7. विभागीय आदेश सं०-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, ड्रक्यूटीपीओ, एसटीपीओ, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया (रूपया में)	मासिक मेंटेनेन्स चार्ज (रूपया में)	प्रति आवास कुल मासिक कटौती (रूपया में)
1.	ए-टाईप आवास, गर्दनीबाग	275	564	839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(शिव रंजन)

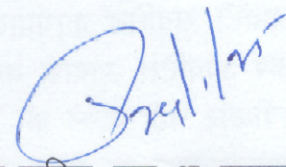
उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भ/भू-सम्पदा-09-02-(अराजपत्रित)-01/2024

907 (1)

पटना, दिनांक:-24/1/25

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव के आप्त सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।